न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(डॉ.भंवर लाल, आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

नामान्तरण अपील: 17/2022

दायर दिनांक: 14.07.2022

निर्णय दिनांक 14.06.2024

—: अनवान :—

1. श्रीमती दमयन्ती कुंवर पत्नि महेन्द्रसिंह चौहान जाति राजूपत आयु 27 वर्ष निवासी महावीर कॉम्पलेक्स, एमडी, तहसील व जिला राजमसंद
2. श्री किशन पिता चम्पालाल जी जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी गाडरियावास एमडी तहसील व जिला राजसमन्द

—— अपीलाण्टगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय, राजसमन्द तहसील राजसमन्द जिला राजसमंद
2. जयसिंह पुत्र बृजसिंहजी राजूपत आयु वयस्क निवासी महावीर कॉम्पलेक्स, एमडी, तहसील व जिला राजमसंद **—— रेस्पोडेण्टगण**

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 1852 स्वीकृत दिनांक 09.09.2021 द्वारा तहसीलदार राजसमन्द अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थितः—

1— श्री शेषमल गाडरी, अधिवक्ता अपीलाण्टगण
2— राजकीय अधिवक्ता, श्री अनिल बागोरा
3— श्री नारायण सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 02

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

—:: निर्णय ::—

प्रस्तुत अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि राजस्व ग्राम एमडी पटवार हल्का एमडी भु अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कांकरोली तहसील कुंवारिया जिला राजसमन्द में खाता संख्या नया 40 पुराना 40 में आराजी संख्या 946 रकबा 0.0324 हैक्टेयर भुमि स्थित हैं। उपरोक्त भुमि में से रेस्पोण्डेंट संख्या दो ने तत्कालीन खातेदार श्रीमती लक्ष्मीदेवी उर्फ लक्ष्मबाई कुमावत पत्नि कैलाशचन्द्र कुमावत से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 11.03.2020 से भुमि क्रय की है अपीलान्ट संख्या एक ने इसी आराजी संख्या 946 में से दिनांक 23.09.2021 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से कुल 651 वर्गफीट भुमि क्रय की हैं। इसी प्रकार अपीलान्ट संख्या दो ने भी इसी आराजी संख्या

946 में से दिनांक 15.02.2021 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से कुल 400 वर्गफीट भुमि क्रय की हैं। रेस्पोण्डेंट संख्या दो ने अपने पक्ष में निष्पादित विकय पत्र के अनुसार रेस्पोण्डेंट संख्या एक के अधिनस्थ कर्मचारी से मिलकर नामान्तकरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। रेस्पोण्डेंट संख्या दो के आवेदन पत्र पर विक्रय पत्र के अनुसार नामान्तरकरण तस्दीक नहीं कर आराजी संख्या 946 की कुलिया भुमि का नामान्तकरण रेस्पोण्डेंट संख्या एक ने रेस्पोण्डेंट संख्या दो के नाम पर स्वीकृत कर तस्दीक कर दिया जो प्रारम्भ से ही अपीलांट के मुकाबले अवैद्य व शुन्य हैं अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1852 दिनांक 09.09.2021 को अपास्त फरमाया जावे तथा उक्त भुमि में से अपीलान्ट्स द्वारा क्रय किये गये भाग (भुखण्ड) को अपीलान्ट्स के नाम राजस्व रेकार्ड में पुनः पूर्ववत अनुसार अपीलार्थी के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकन किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

अपील को दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्टगण को तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट संख्या 01 की ओर से राजकीय अधिवक्ता तथा रेस्पोडेण्ट संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री नारायण सिंह द्वारा अपनी उपस्थिति दी गई।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की धारा 5 के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण सन्तोषप्रद होने से विलम्ब अवधि को न्यायहित में कन्डोन किया जाकर धारा 5 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपने बहस कथन में निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम एमडी पटवार हल्का एमडी भु अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कांकरोली तहसील कुंवारिया जिला राजसमन्द में खाता संख्या नया 40 पुराना 40 में आराजी संख्या 946 रकबा 0. 0324 हैक्टेयर भुमि स्थित हैं। उपरोक्त भुमि में से रेस्पोण्डेंट संख्या दो ने तत्कालीन खातेदार श्रीमती लक्ष्मीदेवी उर्फ लक्ष्मबाई कुमावत पत्नि कैलाशचन्द्र कुमावत से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 11.03.2020 से भुमि क्रय की है। अपीलान्ट संख्या एक ने इसी आराजी संख्या 946 में से दिनांक 23.09.2021 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से कुल 651 वर्गफीट भुमि क्रय की हैं। इसी प्रकार अपीलान्ट संख्या दो ने भी इसी आराजी संख्या 946 में से दिनांक 15.02.2021 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से कुल 400 वर्गफीट भुमि क्रय की हैं। रेस्पोण्डेंट संख्या दो ने अपने पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र के अनुसार रेस्पोण्डेंट संख्या एक के अधिनस्थ कर्मचारी से मिलकर नामान्तकरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। रेस्पोण्डेंट संख्या दो के आवेदन पत्र पर विक्रय पत्र के अनुसार नामान्तरकरण तस्दीक नहीं कर आराजी संख्या 946 की कुलिया भुमि का नामान्तकरण रेस्पोण्डेंट संख्या एक ने रेस्पोण्डेंट संख्या दो के नाम पर स्वीकृत कर तस्दीक कर दिया जो प्रारम्भ से ही अपीलांट के मुकाबले अवैद्य व शुन्य हैं अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1852 दिनांक 09.09.2021 को अपास्त फरमाया जावे तथा उक्त भुमि में से अपीलान्ट्स द्वारा क्रय किये गये भाग (भुखण्ड) को अपीलान्ट्स के नाम राजस्व रेकार्ड

न्यायालय जिला कलक्टर

में पुनः पूर्ववत अनुसार अपीलार्थी के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकन किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने अपने बहस कथन में निवेदन किया कि तहसीलदार, राजसमन्द द्वारा पारित किया गया आक्षेपित नामान्तरण विधिनुकूल होकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार कर खारिज किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 02 ने अपने बहस कथन में निवेदन किया कि तहसीलदार, राजसमन्द द्वारा पारित किया गया आक्षेपित नामान्तरण को अपास्त किया जाता है तो मुझे कोई आपत्ती नही हैं।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई। बहस पर गहन मनन तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 09.09.2021 को फैसल किये गये नामान्तरण संख्या 1852 को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि रेस्पोण्डेंट संख्या दो के आवेदन पत्र पर विक्रय पत्र के अनुसार नामान्तरकरण तस्दीक नहीं कर आराजी संख्या 946 की कुलिया भुमि का नामान्तकरण रेस्पोण्डेंट संख्या एक द्वारा रेस्पोण्डेंट संख्या दो के नाम पर स्वीकृत कर तस्दीक कर दिया हैं। जिसकी पुष्टी अधिवक्ता रेस्पोण्डेंट संख्या दो द्वारा भी यह कहते हुए की गई है। आक्षेपित नामान्तरण को अपास्त किया जाता है तो मुझे कोई आपत्ती नही हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 1852 दिनांक 09.09.2021 को अपास्त कर पुनः नियमानुसार समस्त खातेदारों/काश्तकारों की जॉच कार्यवाही की जाकर प्रकरण का नये सिरे से विधिक प्रक्रिया से निस्तारण किया जाना विधिसम्मत हैं।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निष्पादित नामान्तरकरण संख्या 1852 दिनांक 09.09.2021 को अपास्त किया जाता हैं। प्रकरण तहसीलदार, राजसमंद को प्रतिप्रेषित (Remand) कर आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार जॉच कार्यवाही की जाकर उपरोक्त नामांतरण के संबंध में विधिक प्रक्रियानुसार नये सिरे से समस्त खातेदारों/काश्तकारों के पक्ष में नामान्तरकरण खोलने की कार्यवाही सम्पादित करें।

(डॉ. भंवर लाल)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 14.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)

(डॉ. भंवर लाल)
जिला कलक्टर
राजसमंद